

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा।

कार्यालय आदेश सं०-144/2024, दिनांक-03 मई, 2024

माननीय जिला न्यायाधीश, अल्मोड़ा महोदय से परामर्श एवं उनकी सहमति के उपरान्त माह मई, 2024 से माह जुलाई, 2024 तक अवकाश के दिनों में रिमाण्ड, जमानत एवं अति आवश्यक कार्य का निस्तारण किये जाने हेतु रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के रूप में निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों का ड्यूटी रोस्टर बनाया जाता है।

| माह, वर्ष | न्यायालय/पीठासीन अधिकारी |
|-------------|---|
| मई, 2024 | न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा। |
| जून, 2024 | सिविल जज (सी०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अल्मोड़ा। |
| जुलाई, 2024 | सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा। |

उपरोक्त अवधि में किसी भी नामित रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के प्रशिक्षण, अवकाश व अन्य कारणों से मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में उनका उपरोक्त कार्य लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पादित किया जाएगा।

(दयाराम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अल्मोड़ा।

पत्रांक- 81 /दिनांक 03 मई, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- माननीय जिला न्यायाधीश, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ।
- श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा।
- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा।
- सिविल जज (सी०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अल्मोड़ा।
- सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा।
- न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा।
- वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, अल्मोड़ा।
- अधीक्षक, जिला कारागर, अल्मोड़ा।
- अध्यक्ष/सचिव, जिला बार एसोसिएशन, अल्मोड़ा।
- सिस्टम सहायक, जिला जजी अल्मोड़ा को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
- गार्ड फाइल।

(दया राम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अल्मोड़ा।